

मध्यप्रदेश गाराना  
वन विभाग  
गवालय, भोपाल  
कानून ३०४६/३०१/८५ / २००४/८७४८ भोपाल, दिनांक २० अक्टूबर १९८६  
प्राप्ति,

समरत संभागायुक्त,  
समरत कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश

विषय:- वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं वन भूमि पर अतिक्रमण की प्रभावी  
रोकथाम  
संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक ३६५/मु.स./२०००, दिनांक २२.०८.२०००

जैसा कि आप अवगत हैं वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं वन भूमि पर अतिक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में टारक फोर्स का गठन किया गया है। प्रदेश के अनेक संवेदनशील क्षेत्रों में विवारीत परिस्थितियों के मौजूद रहते हुए अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं वन भूमि के अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।

मेरी अपेक्षा है कि जिला टारक फोर्स वन सुरक्षा संबंधी अपने उत्तरदायित्वों का समर्याद्ध कार्यक्रम बनाकर गंभीरता से पालन करे। वन विभाग को अवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए। बार-बार वन अपराध करने वालों को सूचीबद्ध कर उनकी निगरानी की जाए और न्यायालय में प्रकरण का प्रभावी पक्ष रामर्थन कर अपराधी को दण्ड दिलाया जाए। वन अपराधों की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि गुप्त सूचना तंत्र विस्तृत किया जाए। और सरकारी संगठनों व संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से ग्रामीणों को शिक्षित किया जाकर वन संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। टारक फोर्स की बैटक में अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं अवैध अतिक्रमण के प्रकरणों के संबंध में की गई कार्यवाही की सतत समीक्षा की जाए।

जिला स्तरीय टारक फोर्स की गतिविधियों की त्रैमासिक समीक्षा के लिए संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए। समिति के अन्य सदस्य सद्वित पुलिस महानिरीक्षक एवं संभाग के समरत क्षेत्रीय वन संरक्षक होंगे। संभागीय मुख्यालय के वन संरक्षक समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति प्रति ०३ माह में टारक फोर्स की गतिविधियों की समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रमुख सचिव, वन को उपलब्ध कराए।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई रो पालन सुनिश्चित करे।

(विभागीय सचिव)  
मुख्य सचिव  
कार्यपालीय वन


१२१७८

पुकार ३५१/CS/2004 / विवरण गोपाल दिनांक २० अप्रै

परिलेख

- १ पर्यावरण सचिव, मध्यप्रदेश शासन, यूड बिहारी, मतालय, गोपाल
- २ पर्यावरण युवा वन रक्षक, मध्यप्रदेश, गोपाल
- ३ पुलिस गहानिरेक्षक, मध्यप्रदेश
- ४ समरत पुलिस गहानिरेक्षक, मध्यप्रदेश
- ५ समरत वन रक्षक (क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी) मध्यप्रदेश
- ६ समरत वन गणलाधिकारी (क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी) मध्यप्रदेश
- ७ समरत पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग